पुलिस सुधार की अनदेखी

लेखक-प्रकाश सिंह (इंडियन पुलिस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंध

द इंडियन एक्सप्रेस

28 मार्च, 2019

"पुलिस सुधार संभव है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका ऐसा करने में विफल रही है"

मौजूदा सरकार ने विविध क्षेत्रों में कई पहल की हैं, जो आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा और भारत को एक स्वच्छ, स्वस्थ और पुनरुत्थानवादी राष्ट्र में बदल देगा। स्वच्छ भारत धीरे-धीरे एक वास्तविकता बन रहा है। आयुष्मान भारत का लक्ष्य लगभग 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। बिजली लगभग देश के हर कोने तक पहुंच गई है। उज्ज्वला और सुकन्या योजना महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने में बहुत आगे तक मदद करेगी , इत्यादि। विभिन्न विभाग अपनी-अपनी उपलब्धियों की सूची के साथ सामने आए हैं एवं ये सभी पहल प्रशंसनीय हैं और इनसे होने वाली प्रगति प्रभावशाली है।

हालांकि, यह निराशाजनक है कि एक ऐसा क्षेत्र है, जहां जो कुछ मुमकिन (संभव) भी था उसे भी हासिल नहीं किया गया है- यह पुलिस को जनता की सेवा के साधन के रूप में बदलने के नजरिये के साथ पुलिस में सुधारवादी परिवर्तनों के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि 'पुलिस की प्रतिबद्धता, भक्ति और जवाबदेही केवल कानून के शासन के लिए है' और 'पर्यवेक्षण और नियंत्रण' ऐसा होना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि पुलिस अपराध की जांच या प्रतिबंधात्मक उपाय करते समय किसी भी व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा, चाहे जो भी हो, उसकी परवाह किये बिना जनता की सेवा करे। अदालत ने पुलिस को बाहरी प्रभाव से मुक्त रखने हेतु कई निर्देश जारी किए, जो पुलिस कर्मियों के मामलों में स्वायत्तता का एक उपाय है और इसे अधिक जवाबदेह बनाता है। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि 12 वर्षों के बाद भी, केवल आंशिक रूप से और कुछ ही राज्यों में, इन निर्देशों का अनुपालन हुआ है।

राज्य मुख्य रूप से दोषी हैं। हालांकि, केंद्र इस मामले में अपनी उदासीनता और निष्क्रियता के लिए जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। सोली सोराबजी की अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति ने 2006 में एक आदर्श पुलिस अधिनियम तैयार किया था। उम्मीद यह थी कि केंद्र, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसी तर्ज पर एक अधिनियम पारित करेगा और कम से कम उन राज्यों में एक ही मॉडल अपनाया जाएगा जहाँ समान पार्टी(केंद्र व राज्य में) की सरकार थी। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 252, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है और इस तरह का अधिनियम सहमति वाले राज्यों पर लागू होगा और किसी भी अन्य राज्य में लागू होगा जो अपने विधान मंडल के सदन के माध्यम से या जहाँ दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक संकल्प पारित कर उसे अंगीकार कर लेते है।"

दुर्भाग्यवश इस दिन तक, भारत सरकार ने सोराबजी के आदर्श पुलिस अधिनियम पर कोई निश्चित कार्रवाई नहीं की है। केंद्र द्वारा किसी भी पहल के अभाव में, 17 राज्य, अपने अलग-अलग पुलिस अधिनियमों के साथ बने हुए हैं। यह विडंबना है कि जबकि ब्रिटिश भारत में पूरे देश के लिए एक पुलिस अधिनियम था, आज हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां हर राज्य के पास अलग अधिनियम है एवं उनके मूलभूत विशेषताओं में भी काफी अंतर है।

न्यायमूर्ति के टी थॉमस, जिन्हें 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त किया था, ने पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के मुद्दे के प्रति राज्यों की कुल उदासीनता पर निराशा व्यक्त की। 2012 में आपराधिक कानून में संशोधन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले न्यायमूर्ति जे एस वर्मा ने 'राज्यों को पुलिसिंग में प्रणालीगत समस्याओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी छह निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।' यह काफी हद तक मुमकिन है, लेकिन कार्यपालिका दुर्भाग्यवश पुलिस पर अपनी जमींदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

प्रधान मंत्री 2014 में गुवाहाटी में देश के पुलिस प्रमुखों को संबोधित कर रहे थे, तो आशा जगी जब उन्होंने स्मार्ट (SMART) पुलिस बनाने की बात की,-एक पुलिस, जो संवेदनशील,गतिशील, जवाबदेह, उत्तरदायी और तकनीकी क्षमता युक्त होगी। शायद ही कोई अनुवर्ती

कार्रवाई की गई हो और कुछ कदम केवल बलों की जनशक्ति और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उठाए गए।यह वास्तव में एक त्रासदी है कि जहां देश एक नए भारत के निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आगे चल रहा है, वहीं इसकी पुलिस अभी भी औपनिवेशिक संरचना में बंधी हुई है।

राज्य पुलिस बलों की कुल संख्या 2.46 मिलियन है और देश भर में लगभग 25,000 पुलिस स्टेशन और चौकी हैं। यह एक दुर्जेय शक्ति है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक आम आदमी को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने में कोई बाधा महसूस न हो, उसके पास इस बात का पर्याप्त भरोसा हो कि उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और जांच की जाएगी! यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। लेकिन क्या राजनीतिक वर्ग इस तरह का बदलाव लाने के लिए उत्सुक है? और, क्या पुलिस अधिकारी खुद के लिए आवश्यक आंतरिक सुधारों को शुरू करने के बारे में गंभीर हैं, जिन्हें वे बिना किसी राजनीतिक मंजूरी या विधायी समर्थन के शुरू कर सकते हैं?

स्थिर कानून-व्यवस्था अनवरत आर्थिक विकास के लिए नींव प्रदान करती है। आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन के परिणामस्वरूप कानून-व्यवस्था ध्वस्त होने पर हरियाणा एक गंभीर आर्थिक झटका झेल रहे राज्य का सबसे ताजा उदाहरण पेश करता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ पुलिस बल की भी आवश्यकता होती है। वास्तव में, यदि पुलिस कानून के शासन को लागू करने में सक्षम नहीं होता है और शासन में वैसे व्यक्ति जिनका चरित्र संदिग्ध रहा हो से निर्देश लेने के लिए विवश होता है, तो यह लोकतंत्र के अंत की शुरुआत होगी।

GS World टीम...

पुलिस सुधार

- संविधान के तहत पुलिस राज्य सूची का विषय है एवं आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी पुलिस की होती है।

आवश्यकता क्यों ?

- भारतीय समाज में बढ़ती जटिलता ,आधुनिकीकरण, और लोकतांत्रीकरण पुलिस सुधार की मांग करती है।
- अपराध की बदलती प्रकृति एवं समाज में सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका को देखते हुए पुलिस का आधुनिकीकरण आवश्यक है। साथ ही मजबूत कानून व्यवस्था आर्थिक विकास में भी सहायक होती है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देश:-

- राजनैतिक हस्तक्षेप कम करने हेतु राज्य सुरक्षा आयोग का गठन।
- डीजीपी की नियुक्ति मेरिट आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से करना व न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित करना।
- कार्यरत अन्य पुलिस अधिकारियों के लिए भी 2 वर्ष का कार्यकाल सुनिचित करना।
- पुलिस शिकायत प्राधिकारी की स्थापना करना।
- नियुक्ति ,स्थानांतरण एवं पदोन्नति सहित नौकरी से जुड़े अन्य मुद्दों हेतु पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना करना।
- पुलिस के कार्य-आपराधिक जांच एवं कानून व्यवस्था के रख रखाव को पृथक करना।

पुलिस सुधार पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषज्ञ समिति:-

- राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981),रिबेरो समिति (1998), पद्मनाभैया समिति(2000),मलिमथ समिति (2001-03), पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग समिति (2005-06).

सरकार के प्रयास:-

- मेगा सिटी पुलिसिंग योजना
- अमरावती में फॉरेंसिक विज्ञानं प्रयोगशाला की स्थापना
- पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अम्ब्रेला योजना के तहत 2017-18 से 2019-20 के बीच 25,060 करोड़ की स्वीकृति

समस्याएं:-

- पुलिस बल की कमी
- राजनैतिक कार्यपालिका का पुलिस पर नियंत्रण
- पुलिस व जनता के बीच विश्वास की कमी
- निम्नस्तरीय कर्मचारियों में प्रर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव
- अवसंरचनाओ का अभाव
- अत: यथाशीघ्र उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए एवं राजनैतिक हस्तक्षेप को कम करते हुए पुलिस के आधुनिकीकरण पर बल देना चाहिए, जिससे की वे बदलते समय के साथ स्मार्ट (SMART) पुलिस के रूप में जनता की सेवा कर पाएं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:-**
   1. पुलिस समवर्ती सूची का विषय है।
   2. संविधान का अनुच्छेद- 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements :-**
   1. Police is the subject of concurrent list.
   2. Article 252 of constitution gives the power to Parliament to legislate in the subject of state list with the consent of two or more states.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः "पुलिस सुधार बदलते समाज की आवश्यकता है, परन्तु इसमें अडचनें भी हैं" चर्चा कीजिए, भारत के सन्दर्भ में।

(250 शब्द)

Q. "Police reform is the need of changing society, but there are obstacles also in it". Discuss, in the context of India.

(250 Words)

नोट : 27 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

GS World
Committed To Excellence